17283/17 Done 54 05/01/2017

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 656848

Last Page Not Photo-copy for Registry Date

(1)

2017232001374

विक्रय मूल्य	– रू0 18,90,000/–
मालियत	– रू0 18,90,000/–
स्टाम्प कुल	– रू0 1,32,300/–
परगना	– मोहनलालगंज

विक्रय–विलेख

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – मोहनलालगंज
3. मोहल्ला/ग्राम – मस्तेमऊ (वी–कोड–0115)

Contd......

For Mangalam Fuels (P) Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 656849

(2)

4. सम्पत्ति का विवरण – खसरा सं0–617, 630, 636, 657, 676 का भाग

5. मापन की इकाई – हेक्टेयर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.2625 हेक्टेयर

7. सड़क की स्थिति–(परिशिष्ट के अनुसार)

– सुल्तानपुर रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर

8. अन्य विवरण (लिंक/जनपदीय/राष्ट्रीय मार्ग इत्यादि)– नहीं

9. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि भूमि

11. पेड़ों की संख्या – नहीं

12. बोरिंग/कुआं/अन्य – नहीं

For Mangalam Fuels (P) Ltd.

Authorised Signatory

Contd......

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये
Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
F 656850

13. निर्माण का वर्ष – नहीं

14. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नहीं

15. प्रतिफल की धनराशि – रुपया 18,90,000/–

16. चौहद्दी–

खसरा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
617	खसरा सं0–618	खसरा सं0–615	खसरा सं0–616	चक मार्ग
630	खसरा सं0–634, 635	खसरा सं0–631	खसरा सं0–632	खसरा सं0–629
636	खसरा सं0–651	खसरा सं0–635	खसरा सं0–637	खसरा सं0–657
657	खसरा सं0–672, 673	खसरा सं0–656	खसरा सं0–655	खसरा सं0–658
676	खसरा सं0–677	खसरा सं0–652	खसरा सं0–648	खसरा सं0–680

Contd......

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये
Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 656851

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

अजय कुमार पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद निवासी–16ए/399, वृन्दावन योजना–4, रायबरेली रोड, लखनऊ। 7388888605

क्रेता का विवरण

मंगलम फ्यूल्स प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय पता–60, तेज कुमार प्लाजा, हजरतगंज, लखनऊ, द्वारा अधोहस्ताक्षरी मुकेश दुबे पुत्र श्री आर0एस0 दुबे निवासी–943, चक नं0–116, रावतपुर, कानपुर। 9919088807

यह विक्रय विलेख अजय कुमार पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद निवासी–16ए/399, वृन्दावन योजना–4, रायबरेली रोड, लखनऊ, (जिसे आगे इस विक्रय विलेख में विक्रेता/प्रथम पक्ष

Ajay

Contd......

For Mangalam Fuels (P) Ltd

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु. 15000
FIFTEEN THOUSAND RUPEES
Rs. 15000
पन्द्रह हजार रुपये
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 15?661

05 SEP 2011

(5)

कहा गया है) के द्वारा मंगलम फ्यूल्स प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय पता–60, तेज कुमार प्लाजा, हजरतगंज, लखनऊ, द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी मुकेश दुबे पुत्र श्री आर0एस0 दुबे, निवासी–943, चक नं0–116, रावतपुर, कानपुर, (जिसे आगे इस विक्रय विलेख में क्रेता/द्वितीय पक्ष कहा गया है), के पक्ष में निष्पादित किया गया।

जो कि विक्रेता/प्रथम पक्ष भूमि खसरा सं0–617 रकबा 0.0570 हे0, खसरा सं0–630 रकबा 0.3670 हे0, खसरा सं0–636 रकबा 0.1420 हे0, खसरा सं0–657 रकबा 0.2180 हे0, खसरा सं0–676 रकबा 0.2660 हे0 पॉच किता कुल रकबा–1.050 हेक्टेयर का 1/4 भाग यानी 0.2625 हेक्टेयर स्थित–ग्राम–मस्तेमऊ, परगना व तहसील–मोहनलालगंज,

617 = 0.0143
630 = 0.0917
636 = 0.0355
657 = 0.0545
676 = 0.0665
0.2625

Contd......

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 159662

05 SEP 2017

जिला–लखनऊ, का मालिक कामिल व काबिज हूँ। उक्त भूमि विक्रेता/प्रथम पक्ष ने पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया है, जो राजस्व अभिलेखों में विक्रेता/प्रथम पक्ष के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रुप में दर्ज है।

विदित हो कि विक्रेता अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं क्रेता कम्पनी है, इसलिए विक्रेता ने उक्त भूमि क्रेता को विक्रय करने हेतु श्रीमान् अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) लखनऊ द्वारा वाद संख्या–डी 2017104609935 अजय कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार अन्तर्गत धारा–98 (1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 22.11.2017 के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर ली है।

Contd......

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 648459

05 DEC 2017

(7)

विदित हो कि उक्त भूमि का पंजीकृत विक्रय अनुबन्ध विलेख दिनांक 06.02.2015 को निष्पादित हुआ था जिसमें विक्रय मूल्य रूपया 13,13,000/- था, किन्तु विक्रेता अनुसूचित जाति का था इसलिए सक्षम अधिकारी से उक्त समय पर परमीशन नही हो पायी थी परन्तु दिनांक 22.11.2017 को सक्षम अधिकारी से परमीशन ले ली गयी है। चूंकि उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 99 के प्रस्तर 8 (ड) उल्लिखित है कि भूमि के अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियम सर्किल दर के अनुसार आंगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा इसलिए उक्त भूमि की कलेक्टर सर्किल रेट से मालियत रूपया 18,90,000/- है। इसलिए उक्त भूमि का विक्रय मूल्य रूपया 18,90,000/- इस बैनामा में दर्शाया गया है।

Contd......

For Mangalam Foods (P) Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 648460

05 DEC

(8)

उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा, ऋण आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है, जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। अब अपनी राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त वर्णित भूमि नम्बरी व पैमायशी को बकीमती मुबलिग रूपया-18,90,000/- (अठ्ठारह लाख नब्बे हजार रूपया मात्र) जिसके आधे मुबलिग रूपया-9,45,000/- (नौ लाख पैतालीस हजार रूपया मात्र) होते हैं, में बदस्त क्रेता उपरोक्त के पक्ष में विक्रय कर दिया यानि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना विक्रेता ने अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या उनके किसी वारिसान व कायम

Contd.....

For Manpalaiai Fiesta (P) Ltd.

Authorised Signatory

एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 393668

11

मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रुपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उनके

Contd.....

For Mangalam Foods (P) Ltd.

Authorised Signatory

एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 393669

वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, विक्रेता को कोई मुकाम उज्र का न होगा। अब आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहाँ उचित समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विक्रीत भूमि ग्राम–मस्तेमऊ, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ के अर्द्धनगरीय क्षेत्र की भूमि है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल–**0.2625 हेक्टेयर** है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा सरकारी मूल्य रूपया–**72,00,000/– प्रति हेक्टेयर** की दर से निर्धारित है। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग,

Ajay

Contd......

For Mangalam Foods (P) Ltd

Authorised Signatory

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 393670

(11)

जनपदीय मार्ग व सम्पर्क मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत मुबलिग रूपया 18,90,000/– होती है, जो कि विक्रय मूल्य के बराबर है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–स.वि.क.नि.5–2756/11–2008–500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रूपया 1,32,300/– का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

विक्रीत भूमि में कोई भी निर्माण कच्चा या पक्का नहीं है व उपरोक्त भूमि पर कोई बाग–बगीचा, पेड़, ट्यूबवेल, बोरिंग, कुआं आदि नहीं है तथा विक्रीत आराजी कृषि भूमि है। विक्रीत भूमि की 0–200 मीटर की त्रिज्या में आबादी/निर्माण नहीं हैं

Ajay

Contd......

For Mangalam Fuels (P) Ltd

Authorised Signatory

और न ही आवासीय गतिविधियां विद्यमान हैं। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में व अन्य सरकारी एवं अन्य योजना में अधिगृहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

लिहाजा यह विक्रय-विलेख समक्ष गवाहान खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरूस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर करके बैनामें का निष्पादन किया।

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमि खसरा सं0-617 रकबा 0.0570 हे0, खसरा सं0-630 रकबा 0.3670 हे0, खसरा सं0-636 रकबा 0.1420 हे0, खसरा सं0-657 रकबा 0.2180 हे0, खसरा सं0-676 रकबा 0.2660 हे0 पॉच किता कुल रकबा-1.050 हेक्टेयर का 1/4 भाग यानी 0.2625 हेक्टेयर स्थित-ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:-

खसरा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
617	खसरा सं0-618	खसरा सं0-615	खसरा सं0-616	चक मार्ग
630	खसरा सं0-634, 635	खसरा सं0-631	खसरा सं0-632	खसरा सं0-629
636	खसरा सं0-651	खसरा सं0-635	खसरा सं0-637	खसरा सं0-657
657	खसरा सं0-672, 673	खसरा सं0-656	खसरा सं0-655	खसरा सं0-658
676	खसरा सं0-677	खसरा सं0-652	खसरा सं0-648	खसरा सं0-680

Contd......

For Manpalam Fuels (P) Ltd

Authorised Signatory

<u>तफसील वसूलयाबी जरसमन</u>

1. रूपया 10,00,000/– प्राप्त द्वारा चेक संख्या–000162 दिनांकित 29.12.2014 अदाता एच.डी.एफ.सी. बैंक लि0, शाखा–हजरतगंज, लखनऊ।

2. रूपया 8,90,000/– प्राप्त द्वारा चेक संख्या–000258 दिनांकित 20.12.2017 अदाता एच0डी0एफ0सी0 बैंक, शाखा–हजरतगंज, लखनऊ।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रूपया–18,90,000/– (अठ्ठारह लाख नब्बे हजार रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धनराशि विक्रीत आराजी से सम्बन्धित क्रेता से पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ

दिनांक : 20.12.2017

ह0 विक्रेता

(अजय कुमार)

1. गवाह :

नामः पवन तिवारी

एडवोकेट

पुत्र श्री माधव राज तिवारी

पता : कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ।

ह0 क्रेता

2. गवाह :

नामः संदीप कुमार सिंह

एडवोकेट

पुत्र श्री सी0आर0 सिंह

पता : कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ।

(मुकेश दुबे)

अधिकृत हस्ताक्षरी

मंगलम फ्यूल्स प्रा0लि0

For Mangalam Fuels (P) Ltd

Authorised Signatory

टाइपकर्ता

(अनिल बालाजी)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(मुकेश मणि त्रिपाठी)

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

[illegible]	13-00

[illegible]

[illegible] — [illegible] 2020104608535

[illegible]

न्यायालय अपर जिलाधिकारी ([illegible]), [illegible]

[illegible]
डी 20171[illegible]09935

[illegible]
मौजा– [illegible]
तहसील [illegible]
जनपद,लखनऊ

अजय कुमार ....बनाम.......... सरकार

निर्णय

श्री [illegible] कुमार पुत्र स्व0 [illegible] निवासी 16[illegible] [illegible] रोड, जिला [illegible] द्वारा दाखिल [illegible] [illegible] माननीय [illegible] दिनांक 27–10–2017 को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ,जो द0 रजिस्टर किया गया।

भूमि विक्रय अनुमति सम्बन्धी उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर है और अनुसूचित [illegible] प्रदेश में भूमिधर के रूप में धृत भूमि के कुल क्षेत्रफल का [illegible] है। संलग्न अनुसूची–2 में उल्लिखित अपनी भूमिधरी को [illegible] प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय 60, तेज कुमार प्लाजा, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा [illegible] मुकेश दुबे पुत्र श्री आर0एस0दुबे निवासी–943, रावतपुर, कानपुर उ0प्र0 जो अनुसूचित [illegible] नहीं है, के पक्ष में अन्तरित करना चाहते है। अनुसूची–2 में उल्लिखित भूमि को विक्रय [illegible] अन्तरण की अनुज्ञा के लिये आधार में गृह जनपद गाजीपुर का मूल निवासी होने तथा [illegible] की शादी, इलाज, मकान निर्माण हेतु धन की आवश्यकता होने के [illegible] अन्त में प्रार्थना की गयी है कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित भूमि को विक्रय करने [illegible] उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98(1) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/वादी द्वारा शपथपत्र, [illegible] भारमुक्त प्रमाण पत्र तथा उद्धरण खतौनी ग्राम मस्तेमऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज बाबत खाता संख्या 00412, 00413, 00141, 00936, 0080 तथा उद्धरण खतौनी ग्राम [illegible] परगना व तहसील मोहनलालगंज बाबत खाता संख्या 00994, व अन्य अभिलेख दाखिल किया गया है,

इस पर उप जिलाधिकारी, मोहनलालगंज को कार्यालय जिलाधिकारी (भूमि व्यवस्थाअनुभाग) लखनऊ के पत्रांक 526/डी0एल0आर0सी0/भू0वि0अ0/16 दि0 05–12–2016 के द्वारा 13 बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

तहसीलदार/उप जिलाधिकारी,मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 05–12–2016 में उक्त वांछित 13 बिन्दुओ पर आख्या देते हुये अन्त में प्रार्थी को भूमि स्थित ग्राम मस्तेमऊ की गाटा संख्या 617/0.0570हे0, 630/0.3670हे0, 636/0.1420हे0, 657/0.2180हे0, 676/0.2660हे0 कुल 5 किता कुल रकबा 1.050हे0 का 1/4 भाग यानी 0.2625हे0 भूमि को मेसर्स मंगलम फ्यूल्स प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय 60, तेज कुमार प्लाजा, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी मुकेश दुबे पुत्र श्री आर0एस0दुबे निवासी–94[illegible] [illegible]पुर, कानपुर उ0प्र0 [illegible] में अपनी उपर्युक्त भूमि को विक्रय करने हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता [illegible] की धारा 98(1) [illegible] अध्यादेश 2015 के अन्तर्गत अनुमति देने की संस्तुति की गयी है। आख्या में यह भी कहा गया है कि उक्त भूमि के विक्रय के पश्चात प्रार्थी के पास आवेदन के दिनांक पर धृत भूमि का क्षेत्रफल 1.[illegible]0 से कम नहीं है।

प्रार्थी के बयान अंकित किये गये जिसमे मुख्य रूप से कहा [illegible] अनुसूची–2 में अंकित भूमि को मेसर्स मंगलम फ्यूल्स प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय 60 [illegible] प्लाजा, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी मुकेश दुबे पुत्र [illegible] आर0एस0दुबे निवासी–943, रावतपुर, कानपुर उ0प्र0 के पक्ष में विक्रय करना चाहता है। [illegible] 18,90,000–00 है और कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार [illegible] है। उक्त भूमि [illegible] किसी न्यायालय मे कोई वाद विचाराधीन नही है और न इस पर कोई ऋण लिया गया है। [illegible] भूमि को मै अपनी स्वेच्छा से विक्रय कर रहा हूँ।

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में किये गये कथन की पुनरावृत्ति करते हुये तहसील आख्या के अनुसार भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने की याचना की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक् अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उप जिलाधिकारी, मोहनलालगंज की उक्त आख्या मे प्रार्थी को भूमि स्थित ग्राम मस्तेमऊ की गाटा संख्या 617/0.0570हे0, 630/0.3670हे0, 636/0.1420हे0, 657/0.2180हे0, 676/0.2660हे0

[illegible]

[illegible] निवासी-945, [illegible] [illegible] भूमि का विक्रय [illegible] उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 [illegible] के अन्तर्गत [illegible] की संस्तुति की गयी है। [illegible] आवेदन के दिनांक पर [illegible] नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक अवलोकनोपरान्त [illegible] जिलाधिकारी, मोहनलालगंज की उक्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत भूमि [illegible] अनुमति प्रदान किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

एतद्‌ [illegible] उप जिलाधिकारी, मोहनलाल[illegible] की उक्त आख्या [illegible] की भूमि [illegible] ग्राम मस्तेमऊ की खाता संख्या [illegible] 0.4[illegible], [illegible] 0.2160हे0 कुल 5 [illegible] वाली 0.2625[illegible] भूमि को मेसर्स मंगलम फ्यूचर्स प्रा0लि0 [illegible] प्लाजा, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी [illegible] निवासी-945, [illegible]पुर, कानपुर उ0प्र0 के पक्ष में अपनी उपर्युक्त भूमि को विक्रय [illegible] उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 98(1) संशोधित अध्यादेश 201[illegible] के अन्तर्गत [illegible] शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

1– विक्रीत भूमि के स्वत्व/कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई [illegible] तो वह प्रभावी [illegible]। यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी।

2– उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 99 के प्रस्तर [illegible] जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिये अनुज्ञा की मांग की जा रही है, भूमि के अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार [illegible] न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के सम्बन्ध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख [illegible] एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की प्रति कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण [illegible] तदनुसार राजस्व संहिता में दिये गये प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3– विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और [illegible] संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त [illegible] राजस्व संहिता 2006 की धारा–76(3)(4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामसभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम,1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नही रह जायेगा।

4– उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से [illegible] तक अनुमन्य होगी।

तहसील की उक्त आख्या इस [illegible] का अंग होगी। [illegible] की प्रति उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, मोहनलालगंज/प्रभारी [illegible] (भूमि व्याप्ति) [illegible] सम्बन्धित [illegible] निबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही [illegible] दफ्तर हो।

(शत्रुघ्न सिंह) 22-[illegible]
अपर जिलाधिकारी [illegible]
लखनऊ।

उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित [illegible] गया है।

(शत्रुघ्न सिंह) 22-11-17
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
लखनऊ।

फोटो प्रति प्रमाणित
26/11/2017
[illegible]

सम्पत्ति का मानचित्र

भूमि खसरा सं0-617 रकबा 0.0570 हे0, खसरा सं0-630 रकबा 0.3670 हे0, खसरा सं0-636 रकबा 0.1420 हे0, खसरा सं0-657 रकबा 0.2180 हे0, खसरा सं0-676 रकबा 0.2660 हे0 पॉच किता कुल रकबा-1.050 हेक्टेयर का 1/4 भाग यानी 0.2625 हेक्टेयर स्थित-ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।

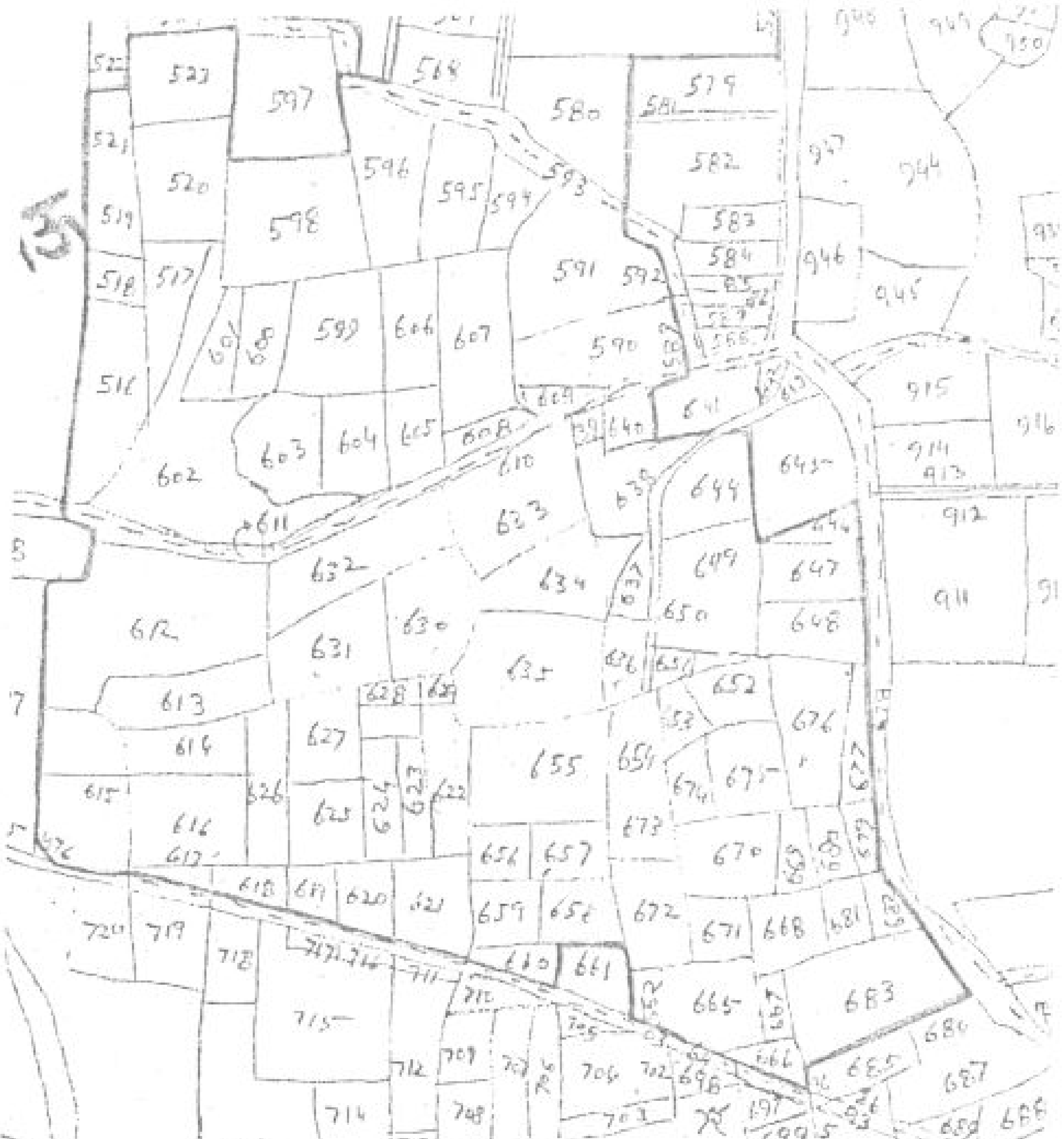

विक्रेता के हस्ताक्षर

Ajay

क्रेता के हस्ताक्षर

For Mangalam Fuels (P) Ltd

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 8742 के पृष्ठ 15 से 42 तक क्रमांक 17283 पर दिनॉक 20/12/2017 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शालिनी अवस्थी
उप निबंधक : मोहनलालगंज
लखनऊ